

जनपद—बरेली में वायुसेना बेस पर प्रस्तावित सिविल एन्कलेव के विकास के लिए प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु दिनांक 21.02.18 को स्थल वायुसेना बेस, बरेली में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :-

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इज्जतनगर, बरेली एयरफोर्स बेस के बाहर, प्रस्तावित सिविल एन्कलेव के विकास का प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्तावित सिविल एन्कलेव परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 43.75 एकड़ भूमि आवश्यक भूमि विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी है। जिसमें दो ए0टी0आर0 72 प्रकार के विमानों के लिए एप्रोन निर्माण, लिंक टैक्सी ट्रैक और आई0एम0जी0 मानकों के अनुसार 150 यात्रियों के लिए (75 आगमन और 75 प्रथान) टर्मिनल भवन साथ ही 75 कारो के लिए पार्किंग का प्रावधान है।

उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है। पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी लोक सुनवाई अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत लोक सुनवाई हेतु आम सूचना उक्त प्रस्तावित उद्योग में प्रचलित विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों कमशः हिन्दुस्तान (हिन्दी संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाईम्स (अंग्रेजी संस्करण) में दिनांक 20.01.18 एवं दिनांक 21.01.18 के संस्करण में जिला प्रशासन बरेली द्वारा निर्धारित लोक सुनवाई का समय, तिथि व स्थान के साथ प्रकाशन कराया गया था, जो कि संलग्नक-1 एवं 2 पर संलग्न है।

उक्त परियोजना के क्षमता विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव/निष्पादन सार, जिलाधिकारी बरेली कार्यालय, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, बरेली, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली, पर्यावरण निदेशालय विनीत खण्ड गोमतीनगर लखनऊ, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ के कार्यालय में जन सामान्य के अवलोकनार्थ संरक्षित रखाये गये थे। लोक सुनवाई से पूर्व प्रस्तावित उद्योग के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव सम्बन्धित कार्यालयों में प्राप्त नहीं हुई है।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित स्थल पर लोक सुनवाई की प्रक्रिया में अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, बरेली द्वारा नामित मंचासीन श्री सुल्तान अशरफ सिद्दकी, एस0एल0ए0ओ0 महोदय, बरेली की अनुमति से प्रारम्भ की गयी। लोक सुनवाई हेतु गठित पैनल के सदस्यों



के अतिरिक्त प्रस्तावित परियोजना के आस-पास क्षेत्र के जन सामान्य भी उपस्थित थे, जिसकी उपस्थिति संलग्न है (संलग्नक-3)

प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा सर्व प्रथम लोक सुनवाई हेतु उपस्थित पैनल के सदस्यों एवं आस-पास के जन सामान्य का स्वागत किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली द्वारा पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत निर्धारित लोक सुनवाई की प्रक्रिया का उद्देश्य उपस्थितगण को अवगत कराया गया।

तदोपरान्त प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, पर्यावरणीय प्रभाव आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण आदि की जानकारी प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि/ परियोजना के पर्यावरण परामर्शी द्वारा दी गयी। प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण परामर्शी द्वारा उद्योग के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त परियोजना के पर्यावरण परामर्शी से कहा कि "प्रस्तावित परियोजना के विस्तार के सम्बन्ध में जो स्लाइड बनाई है, उसको उपस्थित किसानों एवं जन सामान्य को पुनः प्रदर्शित की जायें" उपस्थित जन सामान्य को प्रोजेक्टर द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में स्लाइड प्रदर्शित की गयी। उक्त स्लाइड्स प्रस्तावित परियोजना की विस्तृत जानकारी से सम्बन्धित थी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भी परियोजना की क्षमता विस्तार के सम्बन्ध में भी उपस्थित जन सामान्य एवं किसानों को सम्बोधित किया गया।

लोक सुनवाई में उपस्थित क्षेत्रीय जन सामान्य एवं किसानों को उनके प्रश्न एवं आवश्यक सुझावों हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली द्वारा आमंत्रित किया गया। लोक सुनवाई स्थल पर उपस्थित क्षेत्रीय जन सामान्य एवं किसानों द्वारा पूछे गये प्रश्नों एवं सम्बन्धित द्वारा उक्त प्रश्नों का प्रस्तुत उत्तर का विवरण तालिका में निम्नवत् है—

क्र0सं0	प्रश्नकर्ता का नाम व पता	प्रश्न	उत्तर
1.	श्री हाफिज रजा खां, निवासी ग्राम-गौटियां, बरेली	क्या रथानीय लोगों को रोजगार मिलेगा?	परियोजना के पर्यावरण परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि हवाई यात्रा हेतु टर्मिनल बिल्डिंग (तीन तल) की स्थापना तथा लैण्डस्केपिंग कार्य हेतु




			कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जिसमें स्थानीय लोगों को कार्यकुशलता एवं निर्धारित अहर्ता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे।
2.	श्री नथू लाल निवासी ग्राम—चावड़, बरेली	क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा?	परियोजना के पर्यावरण परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार में वरियता प्रदान की जायेंगी।
3.	श्रीमती सरोज देवी ग्राम—चावड़, बरेली	क्या हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा?	परियोजना के पर्यावरण परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि रोजगार संविदा के आधार पर ही दिये जायेंगे।
4	श्री रामचन्द्र प्रकाश, राजस्व निरीक्षक, नबावगंज, बरेली।	इन हवाई जहाज की इतनी तेज आवाज से हमारे बच्चे रात में नींद से जाग जाते हैं, क्या ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हो सकेगा?	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वायुसेना के लड़ाकू विमानों की अपेक्षा नागरिक विमानों के संचालन से जनित ध्वनि तीव्रता अपेक्षाकृत बहुत कम होती है तथा विमानों के लैण्डिंग तथा टेक ऑफ के समय ही क्षणिक मात्र की ध्वनि जनित होती है। उक्त विमानों का संचालन केवल दिन में किया जाना ही अवगत कराया गया।
5	श्री अजय सिंह, ग्राम चावड़, बरेली।	कौन—कौन सी नौकरी प्रदान की जायेगी?	शैक्षिक योग्यता के आधार पर संविदा हेतु 15 से 20 श्रेणी में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जिसमें माली, ग्राउन्ड स्टाफ, सुपरवाईजर, टर्मिनल सहायक तथा एयरहोस्टेस इत्यादि के पद रोजगार के रूप में सृजन होंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों से प्रस्तावित सिविल एन्क्लेव परियोजना के चौहदी के बाहर स्थित जमीन के आवासीय योजना हेतु क्य—विक्य तथा निर्माणित भवनों की ऊचाई के सम्बन्ध में जिज्ञासा व्यक्त की गयी। जिस पर विमान अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि सन्दर्भित स्थल पर वायु सेना की अनुमति के उपरान्त दो से तीन तल तक (भवनों) का निर्माण किया जा सकता है। एयरपोर्ट ऑथारिटी ऑफ इण्डिया (ए०ए०आई०) द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदूषणकारी गतिविधियों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए



निर्माण कार्य में प्रयुक्त हॉटमिक्स एवं आर.एम.सी. प्लाण्ट आदि की स्थापना इ०ए०आई० द्वारा निर्धारित क्षेत्र से बाहर की जाये एवं टैक्सी वे के लिये वॉचित 7.0 एकड़ भूमि का अधिग्रहण यथाशीघ्र करते हुये एयरपोर्ट एथॉरिटी को उपलब्ध कराई जाये, इस शर्त के साथ जन-मानस द्वारा प्रस्तावित सिविल एन्कलेव के स्थापना/विकास के लिए हर्ष जताते हुए ध्वनि मत के साथ रखीकृति व्यक्त की गयी।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति में लोक सुनवाई का समापन कराने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानीय जनमानस की राय के अनुसार सिविल एन्कलेव के स्थापना/विकास के लिए समर्थन करते हुये तथा उपस्थित नागरिकों को धन्यवाद करते हुये लोक सुनवाई की प्रक्रिया समाप्त करने की उद्घोषणा की गयी।



क्षेत्रीय अधिकारी
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बरेली



एस०एल०ए०आ०
बरेली

हिन्दुस्तान

08

वर्षीय • धनिवार • 20 जनवरी 2018

उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कायालय : 1219/1, ई-ब्लॉक गोदानपुर नगर, वर्ली-243 122

कानूनी संख्या : 1484/GEN/A/B/18

दिनांक : 19.01.2018

प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए अधिकारीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

महाराष्ट्राचा कायालय की साचा किंवा जनता के कायालयातील विभागातील ग्रामीणकामा, वर्ली उ०प्र० द्वारा आवाजी देणारास वर्स प्रस्तावित स्वीकृति एकलेव गोदानपुर लोक सुनवाई हेतु प्रधानमंत्री द्वारा स्थानीय कायालय के द्वारा दिए गए उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के समधि प्रत्युत्तर किया गया है। जिसके सम्बन्ध में आत मरकार के बान पर्व वार्षिक प्रदूषण संवालय है। इसी अधिकारीय सञ्चाय प्रदूषण 1593 दिनांक 14.09.2006 के अन्वानम से प्रधानमंत्री स्वीकृति जारी करने के पश्चात लोक सुनवाई किंवा जारी आवश्यक है। इस सूचना के अन्वानम स्वीकृत आम जनता के किसी भी आपत्ति सज्जावत है। 30 दिनांक के लिये जिन जारी ग्रामीणानां हैं। योक सुनवाई दिनांक का सरचना प्रधानमंत्रीय अधिकारीय सञ्चाय 1593 दिनांक 14.09.2006 के अन्वानम है। एवं उक्त वर्षाव से सम्बद्धता कायालय की साचा अधिकारी नियन्त्रण कायालय में जनसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. ग्रिहांस्त्रकारीकायालय, वर्ली।

2. उपर्युक्त उ०प्र०, ग्रिहांस्त्रकारीकायालय, वर्ली।

3. शोध अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वर्ली।

4. विदेशीक, स्थानीय कायालय, वर्ली।

5. उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वर्ली। यांचा नाम लिखा लायज़ित।

अत अनुसार सबसाधारण युवा विशेष दाखिला की स्वीकृति का माध्यम से संचित किया जाता है। किंवा अपर नियन्त्रणकारी (या या०), लोकांकी सम्युक्ती में उपर्युक्त वर्स में दिनांक 21.01.2018 की गत 10.00 वर्षाव लोक सुनवाई के कायालयी नियन्त्रण बोर्डी हेतु जामें उपर्युक्त वर्कर कोई भी व्यक्तिअपार गोष्ठीक या गोष्ठीय सुझाव आपानामा उत्पन्न करनावाही अथवा कांड भो व्यक्तिशीर्षी कायालय, उपर्युक्त प्रधानमंत्री नियन्त्रण बोर्ड, वर्ली अधिकारी वांड सम्बद्धता, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड प्रयोगस्थ भवीत ३० सौ०-१२ वी क्रिमती खाली गमती मार्ग लखनऊ से जारी अधिकारीय प्रकाशन की तिथि में 30 दिन के अंतरालाखित लम्ब सेवे यकृत है।

क्षेत्रीय अधिकारी

दिनांक 6/2/18 को ८२०७-इमेल द्वारा प्राप्त करवाऊ

उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

भौमिका काला० 1219/1, इ-ब्लाक राजनीति नार, बरेली-243 122

दिनांक : 19.01.2018

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्वसाधारण की सूचित किया जाता है कि उद्योग भारतीय विमानवाहन प्राधिकरण, बरेली उ०प्र० द्वारा बरेली एयरफोर्स बेस पर प्रस्तावित एन्कलेचर परियोजना की लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल बरेली एयरफोर्स बेस पर लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार के बन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के मूर्ख लोक सुनवाई किया जाना आवश्यक है, इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना प्रविधानित है। लोक सुनवाई पैनल वा० संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप होगी एवं उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित कार्यकारी समाज आवलोकन निर्माणित कार्यालयों में जनसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

१. जिलाधिकारी सुनवाई कार्यालय, बरेली।

२. जिलाधिकारी सुनवाई कार्यालय, बरेली।

३. निवेशक, पर्यावरण नियन्त्रण बोर्ड, विनोत खानड-१, गोमती नगर, लखनऊ।

५. उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, टी०सी०-१२ वी विष्फूल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अंतः समस्त सर्वसाधारण एवं विशेष जारीकों को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आगे जिलाधिकारी (वि०/रा०), बरेली की अधिकारीता में एयरफोर्स बेस में दिनांक 21.02.2018 को प्रातः 10:00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है जिसमें उपर्युक्त होकर कोई भी व्यक्ति अपने मीठिक या लिखित सुझाव/आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बरेली अध्यक्ष बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, टी०सी०-१२ वी विष्फूल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में सुझाव/आप्लाई प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित रूप से दे सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्न 2

10 | hindustantimes

INDIA POLLUTION CONTROL BOARD
 Regional Office : 219/1, Block Rajendra Nagar, Deobilly-243 122
 प्राक संख्या : 1481/GEN/A-3/18

दिनांक : 19.01.2018

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्व-साधारण की योग्यता किया जाता है कि उद्योग भारतीय विमानपत्रन प्राधिकारण, बरेली ३०प्र० द्वारा बरेली एयरपोर्ट सें बेस पर प्रस्तावित मिश्युल एक्स्प्रेस विमानों जना की लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल बरेली एयरपोर्ट सें बेस पर लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव ३०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार के चन एवं पर्यावरण मन्त्रालय द्वाग जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. १५३३ दिनांक १४.०९.२००६ के अनुचालन में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई किया जाना आवश्यक है, उस सूचना के अन्तर्गत श्रेणीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु ३० दिन का नोटिस दिया जाना प्राविधिक है। लोक सुनवाई बैनल की सूचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या १५३३ दिनांक १४.०९.२००६ के अनुरूप होगी एवं उस प्रस्ताव से सम्बन्धित अन्तर्गत लोक सुनवाई नियंत्रित करायी जायेगी में जनसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

प्राप्ति का उद्देश्य :

१. विद्युत उद्योग, जिल्हानुसार एवं प्रालौहि केन्द्र, बरेली।

२. श्रेणीय आपत्तियाँ, इनप्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली।

३. नियंत्रण, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, १, गोमती नगर, लखनऊ।

४. नियंत्रण, पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड, १००३०-१२ वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

५. ३०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण विभाग, दी.सी.०-१२ वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

आप सम्पन्न सर्वसाधारण एवं विशिष्ट नापत्रिकों को इस नोटिस के आधार से सुचित किया जाता है कि ३०प्र० जिलानुसार (विं०/२०१०), बरेली की अन्यताता में एयरपोर्ट बेस में दिनांक २१.०२.२०१८ को प्रातः १०:०० चन से लोक सुनवाई की कार्यवाही नियांत्रित की गयी है जिसमें उपस्थित होकर कोई भी व्यक्ति अपनी जीवित सुझाव/आपत्तियों प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा कोई भी व्यक्ति देशीय कागजालय, ३०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली अथवा बोर्ड मुख्यालय, ३०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, दी.सी.०-१२ वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में सुझाव/अधेय प्रकाशन की सिव्य से ३० दिन के अन्तर लिया जाया से दे जाता है।

संस्कृति अधिकारी

कायान्त्रिक भार्गव विजयकृति पर्वीना प्रभाग, वि.

WALK IN INTERVIEW

दिनांक : १५.०१.२०१८

पत्रका : २२७६/४-१



उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: 1219/1, ई-ब्लॉक राजेन्द्र नगर, बरेली-243 122

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

संदर्भ संख्या: 1481 /GEN/A-३ /18

दिनांक १९-१-२०१८

सेवा में,

सम्पादक महोदय,
दैनिक जागरण / हिन्दुस्तान टाइम्स / हिन्दुस्तान
बरेली।

विषय:- प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, पत्र के साथ संलग्न प्रेस विज्ञप्ति को दिनांक 20 जनवरी, 2018 *के दैनिक समाचार पत्र में बरेली मण्डल के सभी संस्करण में (साइज ०९ सेन्टीमीटर × १० सेन्टीमीटर अथवा जो भी न्यूनतम हो) डी०ए०वी०पी० की दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रकाश चौधरी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7) उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
२

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: 1219 / 1, ई-ब्लॉक, राजेन्द्र नगर, बरेली-243 122

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

कार्यालय: F-29/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उद्योग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बरेली उ०प्र० द्वारा बरेली एयरफोर्स बेस पर प्रस्तावित सिविल एन्कलेव परियोजना की लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित रथल बरेली एयरफोर्स बेस पर लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार के वन्नावर पर्यावरण कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुपालिन में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व लोक सुनवाई किया जाना आवश्यक है, इस सूचना के अन्तर्गत क्षेत्रीय आम जनता को किसी भी आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप होगी एवं उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित कार्यकारी सारांश अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में जनसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

1. जिल्हाधिकारी कार्यालय, बरेली।
2. उपायुक्त उद्योग एवं प्रसाहन केन्द्र, बरेली।
क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बरेली।
4. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
5. उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, टी० सी०-१२ वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण एवं विशिष्ट नागरिकों को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), बरेली की अध्यक्षता में एयरफोर्स बेस में दिनांक 21.02.2018 को प्रातः 10.00 बजे से लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है जिसमें उपस्थित होने कोई भी व्यक्ति अपने मौखिक या लिखित सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय कार्यालय, उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बरेली अथवा बोर्ड मुख्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, टी० सी०-१२ वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में सुझाव/आक्षेप प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित रूप से दे सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी